



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्ब०/.....०१०...../२२

दिनांक:-०७/०५/२२

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

एस०एन० कालेज ऑफ हायर एजुकेशन, बाजिदपुर, सिद्धपुरा, कासगंज (कालेज कोड-९३४)

विषय:-एस०एन० कालेज ऑफ हायर एजुकेशन, बाजिदपुर, सिद्धपुरा, कासगंज को शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम २०१४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) की धारा ३७(२) के अन्तर्गत, महाविद्यालय के अनुरोध पत्र एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में एस०एन० कालेज ऑफ हायर एजुकेशन, बाजिदपुर, सिद्धपुरा, कासगंज को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है।

यह स्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

१. संस्था शासनादेश संख्या २८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. संस्था इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगी कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पुरी कर रहा है।
३. यदि संस्था/प्रबन्ध तन्त्र द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा एन०सी०टी०ई०/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उसकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
५. संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
६. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

१. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
२. परीक्षा नियंत्रक।
३. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
४. सहायक कुलसचिव-कुलपति सचिवालय।

1
कुलसचिव